समाचार

मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर लगा 7600 रू. का अर्थदण्ड

(निगम के विभिन्न जोनों में की गई कार्यवाही)

कोरबा 20 अगस्त 2020 —मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने तथा नियमों का उल्लंघन करने आदि प्रकरणों पर निगम अमले द्वारा आज 20 अगस्त को अपने विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 7600 रूपये का जुर्माना लगाया गया। लोगों को हिदायत दी गई की वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बेवजह सड़क, सार्वजनिक स्थानों पर न घूमें।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके नियंत्रण की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा नियमों का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 20 अगस्त को भी निगम के विभिन्न जोनों में यह कार्यवाही की गई तथा 7600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

निर्धारित समय पर दुकान प्रतिष्ठान बंद कराएं— अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने जोन कमिश्नरों व उप जोन प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगर निगम कोरबा क्षेत्र स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय पर बंद कराना सुनिश्चित करें, साथ ही इस संबंध में मुनादी भी कराएं। निगम अमले द्वारा इस पर कार्यवाही करते हुए निगम के सभी 08 जोन में मुनादी कराई गई। यहां उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने आदेश जारी कर दुकानों व प्रतिष्ठानो के खुलने का समय पुनः निर्धारित किया है, जारी आदेश के अनुसार समस्त प्रकार के

आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें तथा स्टैण्ड अलोन दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक एवं गैरआवश्यक सामग्री का विक्रय करने वाली दुकानें व प्रतिष्ठान प्रातः 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक खुलेंगे। इसी प्रकार रेस्टोरेंट एवं होटलों में टेक–अवे, डायनिंग तथा होम डिलेवरी हेतु रेस्टोरेंट होटल प्रातः 08 बजे से दोपहर 03 बजे तक तथा योग संस्थान एवं व्यायाम शाला प्रातः 06 बजे से दोपहर 03 बजे तक कोविड–19 के प्रोटोकाल की शर्तो का पालन करते हुए संचालित होंगे।

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर सतत जनजागरूकता –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत स्थित वार्डो, बस्तियों, व्यवसायिक क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, मार्गो आदि में लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा कर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन करने संबंधी जनजागरूकता का कार्य निरंतर किया जा रहा है। लोगों को समझाईश दी जा रही है कि वे वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसका प्रसार रोकने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, घर पर ही सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले।